

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसूजनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-03/निदे0 (छात्रावास संधा0)-66-24/2018-22

प्रेषक,

सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-11/05/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹1,12,75,805/- (एक करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पाँच रूप०) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹12,37,766/- (बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ छियासठ रूप०) मात्र अर्थात् कुल ₹1,25,13,571/- (एक करोड़ पचीस लाख तेरह हजार पाँच सौ इकहत्तर रूप०) मात्र की राशि सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

महाशय,

2-स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ, मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण,-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषय शीर्ष 0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार करेंगे। वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को मांग के आलोक में ई-चालान के माध्यम से राशि हस्तगत करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

41

42

43

5-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन संचिका सं०-3/निदे० (छात्रावास संधा०)-66-24/2018 के पृष्ठ-108/ टि० पर दिनांक-16-4-2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-03/निदे० (छात्रावास संधा०)-66-24/2018- 22

दिनांक-11/05/2026

प्रतिलिपि(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

विवरण-1 अनुसूचित जाति

संख्या	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	कुल खाद्यान्न (किलो0 ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	Araria	225	40500	252720
2	Arwal	25	4500	28080
3	Aurangabad	50	9000	56160
4	Banka	150	27000	168480
5	Begusarai	50	9000	56160
6	Paschim Champaran, Bettiah	340	61200	381888
7	Bhagalpur	350	63000	393120
8	Bhojpur	475	85500	533520
9	Buxar	250	45000	280800
10	Darbhanga	550	99000	617760
11	Gaya	300	54000	336960
12	Gopalganj	75	13500	84240
13	Jamui	150	27000	168480
14	Jehanabad	300	54000	336960
15	Kaimur	575	103500	645840
16	Katihar	118	21240	132538
17	Kishanganj	200	36000	224640
18	Lakhisarai	100	18000	112320
19	Madhepura	175	31500	196560
20	Madhubani	50	9000	56160
21	Purbi Champaran, Motihari	100	18000	112320
22	Munger	100	18000	112320
23	Muzaffarpur	380	68400	426816
24	Nalanda	350	63000	393120
25	Nawada	475	85500	533520
26	Patna	837	150660	940118
27	Purnia	325	58500	365040
28	Rohtas	325	58500	365040
29	Saharsa	75	13500	84240
30	Samastipur	1265	227700	1420848
31	Saran	150	27000	168480
32	Sheikhpura	25	4500	28080
33	Sitamarhi	525	94500	589680
34	Siwan	274	49320	307757
35	Supaul	325	58500	365040
कुल:-		10039	1807020	11275805

A

Q

4

विवरण-2 अनुसूचित जनजाति

क्रम संख्या	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	कुल खाद्यान्न (किलो0 ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	Banka	150	27000	168480
2	Bettiah	277	49860	311126
3	Bhagalpur	200	36000	224640
4	Jamui	150	27000	168480
5	Kaimur	25	4500	28080
6	Muzaffarpur	100	18000	112320
7	Purnia	175	31500	196560
8	Rohtas	25	4500	28080
कुल:-		1102	198360	1237766

A

B

C